

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
हरप्रीत कौर कुमार बनाम सुखमन्दर सिंह आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट

नम्बर 117 / 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/835

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
3.7.2025	<p>प्रार्थीया हरप्रीत कौर कुमार पुत्री सुखमन्दर सिंह पत्नि स्व: श्री चडसिंह जाति जटसिख साकिन 28 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार भादू अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र. मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थीया को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड व मौका यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थीगण के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि विवादित भूमि वाकं चक 10 एम के तहसील रायसिंहनगर के प.न. 159/393 का मु.न. 26 कि.न. 1.2/2. 9/2, 10,11, 12/2,19/2, 20-21-22/2 व मु. न. 29 प.न. 162/293 के कि.न. 21 ता 25 इस प्रकार दोनों मुरब्बा में कुल 3.1650 हे.नहरी भूमि में प्रार्थीया की हिस्सा की भूमि पर रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.09.2025 तक बनाये रखे।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे।</p> <ul style="list-style-type: none"> रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यों व बैंक ऋण वसूली (राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। <p>रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 01.09.2025 को पेश हो।</p>	<p>1031 23/7/25</p>



(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

28/7/25 माफ पत्रावली प्रार्थीया हरप्रीत कौर को
काय का पत्र प्रेषित करके पत्र प्रेषित करने से
प्रार्थीया काय मूल पत्र वापस लेना कि आधा
पत्र वापस लेने के लिए प्रार्थीया को पत्र
28/7/25 को प्रार्थीया को प्रेषित किया
कि 28/7/25 को प्रार्थीया को प्रेषित किया
पत्रावली प्रेषित करके पत्र प्रेषित करने से
दिनांक 28/7/25

Not mus
can us
28/7/25

